बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक : 34

दिनांक 2/8/2010

अध्यक्ष (का०)
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(R) 0612-2288139
(O) 0612-2217696

+++

उपाध्यक्ष
* मो० एख़लाक़ अहमद
(M) 9934280177

+++

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(R) 0612-2271428

+++

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901

दिनांक 02.08.2010 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की बैठक की कार्यवाही :–

(1) उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

(2) श्री अरूण चन्द्र मिश्र, अध्यक्ष, दिनांक 31.07.2010 के सेवा निवृत्त हो गये है तदोपरान्त अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। प्रावधान के अनुसार वरीय उपाध्यक्ष को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करना है इस परिस्थिति में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि श्री शम्भु नाथ मिश्र कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। तदोपरान्त श्री शम्भु नाथ मिश्र की अध्यक्षता में बैठक प्रारंभ की गई।

(3) नालन्दा जिला इकाई की दिनांक 02.07.2010 बैठक की कार्यवाही प्राप्त हुई। वहाँ से जिला पदाधिकारी श्री संजय कुमार अग्रवाल भा0 प्र0 से0 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित मामला पर विचार विमर्श किया गया। इस संदर्भ में नालंदा जिला ईकाई के अध्यक्ष श्री जिउत सिंह, निदेशक, डी0आर0डी0ए0 से वार्ता हुई। उन्होने बताया कि इस मामले में अग्रेतर कार्रवाई की आवश्यकता नही है, चूकि जिला पदाधिकारी के द्वारा खेद व्यक्त किया गया है, एवं वहाँ के पदाधिकारी समान्य परिस्थिति में कार्य कर रहे है।

संघ द्वारा जिला पदाधिकारी के द्वारा किये गये दुर्व्यवहार की निन्दा की गई। चूँकि जिला पदाधिकारी के व्यवहार में गुणात्मक परिवर्त्तन हुआ है इसलिए संघ यह अपेक्षा करती है कि जिला पदाधिकारी के द्वारा दुर्व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

(4) श्री रंजन चौहान वरीय उप समाहर्त्ता अररिया के द्वारा प्राप्त अम्यावेदन पर विचार किया गया। श्री चौहान द्वारा पटना से अररिया निजी वाहन से जाने के कम में दिनांक 19.02.2010 के पूर्वाह्न 03.00 बजे पूर्णिया जीरो माईल पर स्थानीय पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर श्री चौहान को मारापीटा गया। पूर्णिया पुलिस अधिक्षक/आरक्षी उपधीक्षक द्वारा इस घटना का कोई संज्ञान नहीं लेने के उपरान्त श्री चौहान ने अररिया जिला पदाधिकारी को घटना की जानकारी दी। जिन्होने पूर्णिया जिला प्रशासन से इस घटना की जांच/कार्रवाई हेतु पत्र दिया। पूर्णिया सदर के अनु0 पदाधिकारी/आरक्षी उपाधीक्षक द्वारा घटना की जांच की गई है।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :.............................. दिनांक ....

अध्यक्ष (का०)
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(R) 0612-2288139
(O) 0612-2217696

+++

उपाध्यक्ष
* मो० एख़लाक़ अहमद
(M) 9934280177

+++

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(R) 0612-2271428

+++

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बढियार
(M) 9431093157

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901

फलाफल की जानकारी हेतु श्री चौहान से वार्त्ता हुई है उन्होने सभी जानकारी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

संघ द्वारा इस घटना को गंभीरता से लिया गया एवं निर्णय लिया गया कि सभी कागजात आने पर इस मामले से गृह सचिव, बिहार, सरकार को न्यायोचित कार्रवाई हेतु अवगत कराया जायेगा।

(5) आम सभा कराने के बिन्दु पर भी चर्चा की गई, दिनांक 04.07.2010 को आमसभा होना था। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री को उक्त तिथि को अलग कार्यक्रम होने/दिनांक 05.07.2010 को भारत बंद रहने पर विधि व्यवस्था संधारण के स्थिति में संघ के पदाधिकारियों को पटना आने–जाने की असुविधा को देखते हुए दिनांक 04.07.2010 की उक्त सभा स्थगित की गई। माननीय मुख्यमंत्री को उनके समयानुसार किसी भी रविवार को समय देने हेतु अनुरोध किया गया है ताकि आमसभा कराया जा सके, परन्तु अभी तक समय नहीं मिलने के कारण आम सभा नही बुलाई जा सकी है।

सर्वसम्मती से निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तिथि निर्धारित होने के साथ ही आम सभा करायी जायेगी।

(6) अन्त में श्री अरूण चन्द्र मिश्र को भावभिनी विदाई दी गई।

धन्यवाद के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

(सुशील कुमार)
महासचिव

(शम्भु नाथ मिश्र)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि:–सभी जिला ईकाई के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ/सभी कार्यकारणी के सदस्य/विशेष आमंत्रित सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव, समान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–सचिव गृह विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

महासचिव